तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **रत्नेश जैन बनाम लो.सू.अ.(जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी)** सू.अ.अ. अपील संख्या 209/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-08-2022	अपीलार्थी रत्नेश जैन पुत्र प्रेम जैन, पता 145, लक्ष्मीनगर मुख्य मार्ग, पावटा बी रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.03.2022 में (1) आपके विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को दी जाने वाली मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के लिए क्या–क्या आधार, नियम व प्रकिया है सम्बंधित नियमावली की प्रमाणित व अन्य बिन्दुओं,, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला अल्प संख्यक अधिकारी कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना जरिये पत्रांक 290 दिनांक 08.06.22 भिजवाई गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1032 दिनांक 22.07.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी रत्नेश जैन द्वारा दिनांक 05.05.2022 को निर्धारित सूचना शुल्क जमा कराने के पश्चात् कार्यालय के पत्रांक 290 दिनांक 08.06.22 द्वारा भिजवा दी गई। रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु सं0 1 की सूचना दे दी गई तथा बिन्दु सं0 2 से 5 से संबंधित सूचना में आवेदक द्वारा आवेदन फार्म व आवेदन फार्म के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रति कार्यालय में जमा नहीं करवाई गई है दस्तावेजात कार्यालय में उालब्ध नहीं होने से चाही गई सूचना दी जानी संभव नहीं होने के कारण सूचना नहीं दी गई। रिपोर्ट में बिन्दु संख्या 6 से 10 तक से संबंधित सूचना बिन्दू सं0–1 में नियमों की प्रतियां निहित होना बताया। अपीलार्थी ने अपील में कहा कि आवेदनकर्ता/अपीलार्थी ने आवेदन के बिन्दु 2 ता 5 के संबंध में प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी ने आवेदन फार्म में संलग्न की हार्डकॉपी जमा नहीं करवाए जाने व पासवर्ड नहीं होने से किसके बारे में सूचना चाही गई है आवेदन में अस्पष्ट होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं होना बताया गया जबकि आवेदन के बिन्दु 3 से 5 में स्पष्ट रूप से आवेदन कमांक व शैक्षणिक सत्र का उल्लेख करते हुए आवेदन के संलग्न में लगाए दस्तावेज की प्रमाणित प्रति चाही गई। अपील में लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझकर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के संबंध में आवेदन फार्म व उसके संलग्न में अपलोड किये गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये है। अन्त में सूचना दिलाये जाने की प्रार्थना की। अपीलार्थीपक्ष द्वारा बिन्दु सं0 2 से 5 तक से संबंधित सूचना चाही जा रही है तथा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में आवेदन फार्म की ऑनलाईन/हार्ड प्रति उपलब्ध नहीं है तथा चाही गई सूचना के दस्तावेज अन्य कार्यालय/संस्था से संबंधित है तो लोक सूचना अधिकारी को विधिक प्रक्रिया के तहत प्रार्थी का आवेदन पत्र अंतरित कर प्रार्थी को सूचित करना चाहिए परन्तु लोक सूचना लगातार....	

अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र उचित कार्यवाही नहीं की गई, जो खेदजनक है अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार करते हुए लोक सूचना अधिकारी (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जोधपुर) को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 2 से 5 तक संबंधित सूचना के दस्तावेज अन्य कार्यालय/संस्था से संबंधित हैं तो प्रार्थना पत्र विधिक प्रक्रिया के तहत अंतरित करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।